भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 55AD 696761

यह ... स्टेम्प पेपर ... की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है। जिसकी पत्रावली ... 35530

संस्था: चन्द्रावती मैमोरियल शैक्षिक संस्थान, 98-99 आशीष रॉयल पार्क निकट रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज पीलीभीत बाई पास रोड बरेली

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली मण्डल बरेली ★ उ०प्र० ★

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स बरेली मण्डल, बरेली (उ०प्र०)

26/11/2018

संस्था चन्द्रावती मैमोरियल शैक्षिक संस्था
बेवली

3002
31-10-18

श्याम सिंह
स्टाम्प विक्रेता
लाइ0 नं0 15
कोर्ट [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 55AD 696762

यह नान स्टेम्प पेपर .... के संशो० नियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है। जिसकी पत्रावली संख्या 535530

संस्था चन्द्रावती मेमोरियल शैक्षिक संस्थान 98-99 अमीय गोयल पार्क निअर रुहेलखण्ड मेडिकल कॉलेज पीलीभीत बाई पास रोड बरेली

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली क्षेत्र, बरेली ★ उ०प्र० ★

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
26/11/2018

चन्द्रावती मेमोरियल शैक्षिक संस्थान ...

3007
31-10-18

श्याम सिंह
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं. 17
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 55AD 898763

यह ... स्टाम्प पेपर ... के ... श्री प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है जिसकी पत्रावली संख्या B-35530

श्री [illegible] की सोसाइटी शैक्षिक संस्थान [illegible]
[illegible] पब्लिक [illegible] कालेज
प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष-2018-19 प्रभावी दि० 07/9/2018
पीलीभीत बाईपास रोड बरेली

सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटीज बरेली क्षेत्र, बरेली ★ उ०प्र० ★

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
26/11/2018

पद्मावती मनोदिव्यांग शैक्षिक संस्थान [illegible]

3004
10
31-10-18

श्याम सिंह
स्टाम्प विक्रेता
[illegible] नं. 15
[illegible]

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : **चन्दावती मैमोरियल शैक्षिक संस्थान**
2. संस्था का पता : 98–99, आशीष रॉयल पार्क, नियर रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

1. निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालयों की स्थापना कर उनका संचालन करना।
2. गरीब एवं असहाय छात्र/छात्राओं को निशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकों की व्यवस्था करना एवं छात्र/छात्रओं की सुविधा हेतु छात्रावासों का निर्माण करना।
3. छात्र/छात्राओं के मनोरंजन हेतु पुस्तकालय एवं क्रीडास्थल की व्यवस्था करना।
4. आधुनिक शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना, इस हेतु सभी वर्गो के छात्र/छात्राओं को सिलाई, कढाई, बुनाई, पेन्टिंग, टंकण के शिक्षण– प्रशिक्षण की निशुल्क व्यवस्था करना।
5. मेधावी छात्र/छात्राओं को वार्षिक उत्सव में पुरस्कृत कर उनका ज्ञानवर्धन करना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना।
6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था करना एवं हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प पंजाबी, उर्दू, अरबी एवं फारसी शिक्षा की व्यवस्था करना।
7. समय–समय पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा छात्र/ छात्राओं के कल्याण एवं शिक्षा के विकास हेतु चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को अपनाना एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
8. संस्था द्वारा धारा– 1 व 20 के अन्तर्गत शैक्षिक कार्य किये जायेंगे।
9. अन्य वे कार्य करना जो आधुनिक शिक्षा की उन्नति एवं विकास हेतु आवश्यक हों एवं सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत आते हों।

Arti Sehgal
सचिव
चन्द्रावती मैमोरियल शैक्षिक संस्थान
79 सिविल लाईन्स बरेली (उ0प्र0)

Amarth Sehgal

Sugandha Sehgal

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ0प्र0)
26/11/2018

सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ ... उ० प्र०

B-35530

फाइल नं० ...

दि० 30-10-18

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : **चन्दावती मैमोरियल शैक्षिक संस्थान**

2. संस्था का पता : 98–99, आशीष रॉयल पार्क, नियर रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली (उ0प्र0)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश

4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :–

संस्था की सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रबन्धकारिणी समिति में सचिव के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके निर्णय के उपरान्त ही कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य बन सकेगा। आवेदक का बालिग होना आवश्यक होगा। सदस्यता का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा–

आजीवन सदस्य : समिति को एकमुश्त रू0 1500/– नकद या इसके समकक्ष चल–अचल सम्पत्ति प्रदान करने वाले व्यक्ति समिति के आजीवन सदस्य कहलायेंगे।

विशिष्ट सदस्य : समिति को एकमुश्त रू0 700/– देने वाले व्यक्ति पांच वर्ष के लिए समिति के विशिष्ट सदसय कहलायेंगे।

साधारण सदस्य : समिति को मात्र रू0 100/– प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क प्रदान कर कोई भी व्यक्ति साधारण सदसय बन सकेगा।

5 सदस्यता की समाप्ति : निम्नलिखित आधार पर सदस्यता की समाप्ति हो जायेगी–

मृत्यु होने पर – वे सदस्य जिनकी किसी कारण से मृत्यु हो जायेगी, उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

पागल होने पर– किसी सरकारी डाक्टर के द्वारा किसी सदस्य को पागल घोषित करने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

दण्डित होने पर– वे समस्त व्यक्ति जिन को किसी न्यायालय ने किसी अपराध मे दण्डित किया हो तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

सचिव
चन्द्रावती मैमोरियल शैक्षिक संस्थान
179 सिविल लाईन्स बरेली (उ0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ0प्र0)
26/11/2018

दिवालिया होने पर– वे सदस्य जो दिवालिया घोषित हो जायेंगे, उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

सदस्यता शुल्क ना देने पर–वे सदस्य जिनका निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा ना होगा।

मीटिंग में अनुपस्थित–लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति सदस्यता के पात्र ना होंगे।

त्यागपत्र स्वीकृत होने पर– यदि किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने तथा उसके स्वीकार हो जाने पर।

संस्था के विरूद्ध कार्य करने पर– यदि किसी सदस्य द्वारा संस्था के नियमो का पालन नही किया जाता है तथा संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करना।

6. **संस्था के अंग :** (1) साधारण सभा
(2) प्रबन्धकारिणी समिति

7. **साधारण सभा :-**

गठन : इस संस्था की साधारण सभा कहलायेगी, जिसमें समाज के सभी वर्गो के सदस्यों को सम्मिलित किया जायेगा। इन सभी सदस्यों को मत प्रकट करने का अधिकार रहेगा।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक एक साल में कम से कम एक बार होगी तथा आवश्यकता होने पर कभी भी विशेष बैठक बुलायी जा सकेगी।

सूचना अवधि : ऐसा एजेण्डा जिसमें बैठक का विषय, तिथि, स्थान व समय अंकित हो, सदस्यों के पास सामान्य बैठक के लिए कम से कम एक सप्ताह पूर्व एवं विशेष बैठक के लिए कम से कम तीन दिन पूर्व पहुंचानी आवश्यक होगी। सूचना निजी वाहक द्वारा दी जायेगी।

Anju Sehgal
सचिव
चन्द्रावती मैमोरियल शैक्षिक संस्थान
179, सिविल लाईन्स बरेली (उ०प्र०)

Shrinath Sehgal

सत्य प्रतिलिपि

Sugandha Sehgal

26/11/2018

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से सदस्यों की उपस्थिति हो जाने पर इसकी बैठकों का कोरम पूर्ण होगा, इस प्रकार कोरम 2/3 होगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन व उसकी तिथि :

यह अधिवेशन हर साल अंतिम सप्ताह के प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर अर्थात् दिसम्बर माह के अन्तिम सप्ताह में आहूत किया जायेगा। इसमें वार्षिक बजट पर विचार होगा।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

1) संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन अपने सदस्यों मे से करना।
2) संस्था के आय–व्यय पर नियंत्रण रखना व सालाना रिपोर्ट पास करना।
3) उद्देश्यों की पूर्ति करना व नियमों में परिवर्तन करना।
4) कार्यकारिणी समिति में रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति करना।

8. <u>प्रबन्धकारिणी समिति :–</u> इस समिति को कार्यकारिणी समिति भी कहा जायेगा जिसका गठन, कोरम, सूचना अवधि आदि निम्न प्रकार रहेगी :–

गठन : प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा। इसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व शेष सदस्य होंगे, जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटाई– बढ़ाई जा सकती है।

बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक एक साल में तीन बार होगी तथा आपातकालीन स्थिति में कभी भी विशेष बैठक का आयोजन हो सकेगा।

सूचना : प्रबन्धकारिणी समिति की सूचना तीन दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना कम से कम 24 घंटे पूर्व समस्त सदस्यों व पदाधिकारियों को दी जायेगी। सूचना निजी वाहक द्वारा दी जायेगी।

Anu Sehgal

सचिव
चन्द्रावती मैमोरियल शैक्षिक संस्थान
सिविल लाईन्स बरेली (उ0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ0प्र0)
26/11/2018

गणपूर्ति : यदि बैठक में सदस्यों की उपस्थिति 2/3 हो जायेगी तब इसकी बैठक की गणपूर्ति होगी। इस प्रकार कोरम 2/3 होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति: प्रबन्धकारिणी समिति मे किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों में से अपने सदस्यों में से 2/3 बहुमत से किया जायेगा। जो शेष कार्यकाल के लिए होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एव कर्तव्य :

1) संस्था का उचित रूप से संचालन करना।
2) सदस्यों के त्याग पत्र स्वीकार करना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष रहेगा।

9. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :**

अध्यक्ष :
1. समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में समान मत होने पर निजी मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत देना।
3. संस्था से सम्बन्धित समस्त सभी प्रपत्रों की देखरेख करना।
4. बैठकों में शांति व्यवस्था बनाये रखना।
5. संस्था के कार्यो का निरीक्षण करना व उसमें सुधार करना।
6. संस्था के हित में कार्य करना।
7. संस्था का सामान्य कार्य पूर्ण करना।

सचिव :
1. समिति की बैठकों का आयोजन करना तथा उनकी तिथि निर्धारित करना।
2. बैठकों की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर में लिपिबद्ध करना व उसको बैठक में पढ़वाकर सुनाना।
3. संस्था की ओर से समस्त प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
4. संस्था को प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि दान, चंदा, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।
5. संस्था के कोष का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।
6. समिति के अभिलेखों की सुरक्षा करना व उनकी तैयारी करना।
7. संस्था की ओर से होने वाले अदालती कार्यवाही की पैरवी करना।

कोषाध्यक्ष: यह कि अपने पास 1000/– रूपये तक नकद रख सकता है अधिक धनराशि बैंक/ पोस्ट आफिस में जमा करेगा एवं बिल बाउचर तैयार कर उनको पास करोयेगा।

Anu Sehgal
सचिव
चन्द्रावती मैमोरियल शैक्षिक संस्थान
79 सिविल लाईन्स बरेली (उ0प्र0)

Amarth Sehgal सत्य प्रतिलिपि

Sugandha Sehgal

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ0प्र0)
26/11/2018

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली क्षेत्र, बरेली ★ उ0प्र0 ★

10. **संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–**

साधारण सभा की विशेष बैठक में 3/5 बहुमत से पारित प्रस्ताव जिसमें बैठक में सदस्यों की उपस्थिति 2/3 होने के आधार पर संस्था के नियमों में परिवर्तन एवं उपनियम बनाने की कार्यवाही की जायेगी परन्तु यह परिवर्तन उस समय मान्य होंगे जब इनकी अनुमति सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त हो गयी हो।

11. **संस्था कोष (लेखा व्यवस्था) :**

समस्त श्रोतों से प्राप्त धनराशि को स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक में समिति के नाम से खोले गये खाते में समिति की समस्त धनराशि जमा की जायेगी इस खाते का संचालन संस्था के सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

12. **संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :**

समस्त आय–व्यय का लेखा–परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त सी0ए0 से प्रत्येक वर्ष अथवा आवश्यकतानुसार कभी भी करायी जायेगी।

13. **संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :**

यदि संस्था किसी न्यायालय में कोई वाद दायर करेगी अथवा संस्था के विरूद्ध कोई वाद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर किया जायेगा तो इसके संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के सचिव का होगा।

14. **संस्था के अभिलेख :– समस्त प्रकार के अभिलेखों के रख–रखाव हेतु संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे।**

(1) सदस्यता रजिस्टर (2) कार्यवाही रजिस्टर

(3) स्टाक रजिस्टर (4) कैश बुक।

(5) एजेंडा रजिस्टर।

15. **संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही :**

यदि किसी कारण से संस्था समाप्त हो जायेगी या संस्था विघटित हो जायेगी, तो इस प्रकार बची हुई चल/ अचल सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।

Amarth Sehgal

Anita Sehgal
सचिव
चन्द्रावती मैमोरियल शैक्षिक संस्थान
179 सिविल लाईन्स बरेली (उ0प्र0)

Sugandha Sehgal

26/11/2018

16. <u>विविध :–</u>

1. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी वित्तीय संस्थान, सरकारी/अर्धसरकारी, वित्त निगम एवं बैंक आदि से ऋण, अनुदान, चन्दा, सहायता आदि प्राप्त कर सकेगी। संस्था को ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो वह ऋण हेतु आवेदन कर सकती है। ऋण अभिलेख सोसायटी के सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा निष्पादित करने का अधिकार होगा।

2. बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान से संस्था यदि कोई भी ऋण प्राप्त करती है तो उसकी अदायगी का उत्तरदायित्व सचिव एवं कोषाध्यक्ष का सामान्य रूप से होगा।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली मंडल, बरेली ★ उ०प्र० ★

दिनांकः– 07.09.2018

सत्य प्रतिलिपि

Antra Sehgal

सचिव
चन्द्रावती मैमोरियल शैक्षिक संस्थान
179 सिविल लाईन्स बरेली (उ0प्र0)

Sugandha Sehgal

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
26/11/2018

B-35530

फाइल नं०

चन्द्रावती मैमोरियल शैक्षिक संस्थान,

98--99, आशीष रॉयल पार्क, नियर रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली

प्रबन्धसमिति के सदस्यों की सूची वर्ष 2018--2019 (प्रभावी दि0 07.09.2018)

क्र.सं.	नाम/ पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व0श्री द्वारिका प्रसाद	ग्राम व पोस्ट देवचरा, बरेली।	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्रीमती अनीता सहगल पत्नी श्री कैलाश नाथ सहगल	98–99, आशीष रॉयल पार्क नियर रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज बरेली। (उ0प्र0)	सचिव	गृहणी
3.	श्रीमती शिल्पी मेहरोत्रा पत्नी श्री अशित मेहरोत्रा	बी–810, लाजपत नगर, मुरादाबाद।	कोषाध्यक्ष	गृहणी
4.	श्री अब्दुल गफ्फार पुत्र श्री मुन्ने मियाँ	ग्राम व पोस्ट देवचरा, बरेली।	सदस्य	व्यापार
5.	श्री समर्थ सहगल पुत्र श्री कैलाश नाथ सहगल	98–99, आशीष रायल पार्क, एक्जीक्यूटिव क्लब के पास, बरेली।	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्री सूरजपाल साहू पुत्र श्री विद्याराम साहू	202–बी, गुलाब नगर, बरेली (उ0प्र0)	सदस्य	अध्यापन
7.	सुगंधा सहगल पुत्री श्री कैलाश नाथ सहगल	98–99, आशीष रायल पार्क, एक्जीक्यूटिव क्लब के पास, बरेली	सदस्य	समाजसेवा

सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली क्षेत्र, बरेली ★ उ0प्र0 ★

कृष्ण कुमार सहगल

(हस्ताक्षर भूतपूर्व सदस्य मानसिंह)

Anita Sehgal

सचिव
चन्द्रावती मैमोरियल शैक्षिक संस्थान
79 सिविल लाईन्स बरेली (उ0प्र0)

Shmarth Sehgal

Sugandha Sehgal

Rajaram

(हस्ताक्षर भूतपूर्व सदस्य राजाराम)

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ0प्र0)
26/11/2018

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार [illegible] उ० प्र०

B-35530

[illegible] 07-9-2018

[illegible]